भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4740

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई

4740. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है, जो स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सक होने का ढोंग करते हैं और विभिन्न प्रकार के कैंसर, यकृत और गुर्दे की बीमारियों और सोरायसिस जैसे रोगों के इलाज के लिए अपनी अवैज्ञानिक घरेलू दवाओं का उपयोग करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे झोलाछाप चिकित्सकों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा कुछ वास्तविक आयुष औषधियों को स्वीकृति प्रदान करने में अत्यधिक विलंब किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान अनुमोदन हेतु पंजीकृत, अनुमोदित, अस्वीकृत तथा अनुमोदन हेतु लंबित आयुष औषधियों की वर्ष-वार विस्तृत सूची क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 केवल योग्य पेशेवरों को ही अपनी संबंधित पद्धतियों का अभ्यास करने की को अनुमति दिया जाना सुनिश्चित करते हुए, क्रमशः भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की शिक्षा तथा अभ्यास का विनियमन करते हैं। इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (आचार और पंजीकरण) विनियम, 2023 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता) विनियम, 2022 क्रमशः संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों को अपने राज्य क्षेत्राधिकार में झोलाछाप डॉक्टरों के विरूद्ध कार्रवाई करने संबंधी अधिकार प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ): औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1945 के प्रावधानों के अनुसार, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण और औषधि लाइसेंस जारी करने से संबंधित प्रावधानों के प्रवर्तन का अधिकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य औषधि नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के पास निहित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुमोदन के लिए पंजीकृत, अनुमोदित, अस्वीकृत और अनुमोदन के लिए लंबित आयुष औषधियों की वर्ष-वार विस्तृत सूची **संलग्नक-I** पर दी गई है।

*****

संलग्नक-I

पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुमोदन के लिए पंजीकृत, अनुमोदित, अस्वीकृत और अनुमोदन के लिए लंबित आयुष औषधियों की सूची

क्र.सं.	राज्य	इनपुट्स			
		वर्ष	अनुमोदित औषधियां	अस्वीकृत	अनुमोदन हेतु लंबित
1.	केरल	2020	426	-	-
		2021	534	-	-
		2022	432	-	-
		2023	378	-	-
		2024	377	-	-
2.	गुजरात	विगत 5 पांच वर्ष	10426	26	398
3.	मध्य प्रदेश	2019-2020	945	-	-
		2020-2021	810	-	-
		2021-2022	901	-	-
		2022-2023	955	-	-
		2023-2024	711	-	-
4.	दिल्ली	विगत 5 पांच वर्ष	32102	-	54
5.	कनार्टक	विगत 5 पांच वर्ष	6868	129	25
6.	गोवा	2020-21	45	-	-
		2021-22	36	-	-
		2022-23	16	-	-
		2023-24	20	-	-
		2024-25	25	-	-
7.	पुडुचेरी	शून्य			
8.	मिजोरम	शून्य			